



प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 140992/
41354

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छद्दिवाडा), मध्यपरदेश

स्कूल GYAN SAGAR PUBLIC SCHOOL मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता
KOPAL KIDS PRESCHOOL
JUNNARDEO

सत्र - 2022-23

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2022.04.26 22:29:37 +05:30
Reason: Issued By: DEO
CHHINDWARA

प्रति,

प्रबंधक (GYAN SAGAR PUBLIC SCHOOL KOPAL KIDS PRESCHOOL JUNNARDEO)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 21/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार, निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - GYAN SAGAR PUBLIC SCHOOL KOPAL KIDS PRESCHOOL JUNNARDEO डाइस कोड - 23430432204 स्कूल क्रमांक - PS 41354 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्थीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी -

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ सबटटा की कोई बाध्यता नहीं भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोसी की सीमा के विचित समूह तथा कम्नोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में तक 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस पकार वार्षिक आवर्ती सहायता या सहायता पापत होता है किन्तु यह न्यूनतम पर्याप्ति प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा टी जाती है वहां अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खड़ (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की परिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस के सम्बन्ध नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा -
 - o (क) आयु के सबूत के आभाव में :
 - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चायत ऐसा प्रवेश गाहा गया है,
 - o (ग) धर्म जाति या मूलवश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - o किसी स्कूल में पारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
 - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा,
 - o प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परेक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी,
 - o नियम 19 के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
 - o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
 - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भूती कि जाएगी, बशर्ते कि वर्तमान में कायरल जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आहेता नहीं रखते हैं। उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 तर्फ कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहेता प्राप्त करनी होगी।
 - o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनोरहष्ट कर्तृत्यों का पालन करना होगा।
 - o प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/जाएंगे।
- स्कूल समर्चित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचयों का अनुसरण करेगा।

अध्यक्ष
श. अं. साहब पांडिक, स्कूल
जुन्नारदेव